# बिहार सरकार
# पथ निर्माण विभाग

प्र०–11 / प्राक०–08–64 / 2026 8026 (S) पटना, दिनांक : 05.11.26

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित**

सेवा में,
महालेखाकार बिहार,
पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

**विषयः–** पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ के कि.मी. 0.00 से 8.350 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 6868.79 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनासी हजार) रूपये मात्र की अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

**आदेशः–** पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ के कि.मी. 0.00 से 8.350 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 6868.79 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनासी हजार) रूपये मात्र की अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयगत कार्य की निविदा प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा। अन्य विभागों से अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तानान्तरण के पश्चात् तथा यदि किसी पथ / पथांश में संबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। पथ यदि OPRMC में संधारित किया जा रहा हो तो कार्य कराने के पूर्व OPRMC से विलोपित करना आवश्यक होगा।

3. विषयगत कार्य का वित्त पोषण बजट व्यय शीर्ष "5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय – 03– राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–0102 वृहद सड़कें मत्तदेय" विपत्र कोड 41–5054033370102 एवं बजट व्यय शीर्ष "5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय – 03– राज्य राजमार्ग–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101 वृहद सड़कें मत्तदेय" विपत्र कोड 41–5054037890101 अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. विषयगत कार्यों का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर द्वारा कराया जायेगा, जिस हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर निकासी एवं व्ययनन पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी कोषागार, भागलपुर से की जायगी।

5. विषयगत कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धरित किया जाता है :–

| वर्ष | बजट व्यय शीर्ष | | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में) | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| | विपत्र कोड 41-5054033370102 | विपत्र कोड 41-5054037890101 | | |
| 2026-27 | 3845.00 | 962.00 | 4807.00 | लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना |
| 2027-28 | 1648.00 | 413.79 | 2061.79 | सभी कार्य पूर्ण करना। |
| **कुल** | **5493.00** | **1375.79** | **6868.79** | |

6. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना विषयगत कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।

7. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दे दी गई है।

8. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12888/वि0, दिनांक 03.12.2024 के आलोक में प्रस्ताव पर मद संख्या–22 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका के पृ0–22/टि0 पर दिनांक -- 28.10.2026 को प्राप्त है।

10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–25/टि0 पर दिनांक–02.11.2026 को प्राप्त है।

ह0/–

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र0 को0),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञाप सं0:– प्र०–11/प्राक०–08–64/2026 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/–

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र0 को0),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञाप सं०:- प्र०–11/प्राक०–08–64/2026 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (आय–व्ययक शाखा), पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/ जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ अग्रसारित। ह0/–

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र0 को0),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञाप सं०:- प्र०–11/प्राक०–08–64/2026 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता, सीमाचंल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना/अधीक्षण अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर विषयगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व डिजाईन, प्राक्कलन की जाँच के उपरान्त प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेंगे।

3. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर इस कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना /मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/-

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र० को०),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञाप सं०:– प्र०–11/प्राक०–08–64/2026 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/आं० वि० स०, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, योजना–1 एवं 2, पथ निर्माण विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/कार्य प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/प्रशाखा पदाधिकारी, आय–व्ययक प्रशाखा–9/प्रशाखा–10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना /मीशु मनीषा कुमारी, पी०एम०यु० लीड, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र० को०),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञाप सं०:– प्र०–11/प्राक०–08–64/2026 8026 (5) पटना, दिनांक : 05.11.26

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05.11.2026

**(दीपेश कुमार)**
**संयुक्त सचिव (प्र० को०),**
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**